

**NDPS एक्ट के दो अभियुक्त हुए मय गाजा के गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्री नितेश सिंह के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री जगत नारायण सिंह के निकट मार्गदर्शन में वाहन व अपराधियों की चेकिंग में थाना हाजा से पुलिस टीम को क्षेत्र में मामूर किया गा था कि दौराने देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित में भैसा बाजार चौराहे पर मौजूद था कि जरिये मुखबीर खास से पुलिस टीम को सूचना मिली कि दो व्यक्ति लोनाव बगीचे मे बैठकर नाजायज गाजा की विक्री कर रहे है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अपनी गाडी की रफ्तार बढ़ाकर एकाएक लोनाव बगीचे में पहुंचकर एक बारगी दबिश देकर उक्त दोनो व्यक्तियों को दिनांक 01.10.2020 को समय करीब 9.30 पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम मनीष राय S/O हरिनाथ राय R/O डडवा चतुर PS-बांसगांव जनपद गोरखपुर उम्र करीब 32 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ मे एक पन्नी के अन्दर गाजा बरामद हुआ तथा पन्नी के अन्दर रखे गये पैसो के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि यह 200 रु इसी गाजा की विक्री का पैसा है तथा दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम राजाराम S/O छविनाथ R/O चईतरा PS-बांसगांव जनपद गोरखपुर उम्र 45 वर्ष बताया जिसके दाहिने हाथ मे पन्नी लिये हुए देखा गया जिसके अन्दर गाजा वरामद हुआ तथा पैन्ट की दाहिनी जेब मे 150 रु0बरामद हुए पैसे की सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि आज के गाजा विक्री का पैसा है उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण से बरामद गाजा का बैध प्रपत्र व लाइसेन्स मांगा गया तो नहीं दिखा सके। जामा तलाशी हेतु प्राधिकृत मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधिकारी के पास चलकर तलाशी कराने के सम्बन्ध मे उनका अधिकार बताने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब गलती हो गयी है आप लोग स्वयं तलाशी ले ले। हम लोग किसी अधिकारी के पास नहीं जाएंगे। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा तलाशी लेते हुए का0 पिन्टू प्रसाद से तराजू व बाट मांगवाकर अभियुक्त मनीष राय उपरोक्त से मिले गाजा का तौल कराने पर गाजा का वजन 350 ग्राम तथा राजाराम उपरोक्त के पास मिले गाजा का तौल कराने पर 250 ग्राम गाजा पाया गया। उपरोक्त नामवार पन्नी से गाजा 50-50 ग्राम वतौर नमूना तौल कर अलग कर अलग-अलग कपडो मे हमराही कर्मचारीगण से सिलवाकर सर्व मोहर कराया गया तथा बिक्री का पैसा अलग-अलग पन्नी मे रखकर चिटबन्दी करायी गयी है। अभियुक्तगण को मकसद गिरफ्तारी बताकर मय माल व मुल्जिमान के थाना हाजा पर लाकर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त बरामदगी के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत किये गये अभियोग का विवरण-**

मु0अ0स0 647/2020धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

**नाम पता अभियुक्तगण-**

मनीष राय पुत्र हरिनाथ राय निवासी ग्राम डडवा चतुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर  
राजाराम पुत्र छविलाल पासी निवासी ग्राम चईतरा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

**गिरफ्तारी का समय व स्थान-**

दिनांक 01/10/2020समय सुबह 09.30 बजे गिरफ्तारी का स्थान –ग्राम लोनाव में स्थित बागीचा

**बरामदगी-**

बरामद शुदा 700 ग्राम नाजायज गाजा व  
जामा तलाशी का 350 रुपया

**गिरफ्तारी में शामिल टीम-**

उ0नि0 अभय पाण्डेय  
आरक्षी अशोक कुमार यादव  
आरक्षी पिन्टू प्रसाद  
आरक्षी संजय यादव